तारांकित प्रश्न क्रमांक 3014

[9/3/2021] परिशिष्ट 115

प्रश्न सं. [क. 3014]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M. P.)-474011

फोन/Fax/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर
BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

द्वारा ई–मेल

भा0रा0रा0प्रा0 / प0का0ई0 / ग्वा. / 2019–20 / 2629

दिनांक: 17.02.2021

प्रति,

श्रीमान क्षेत्रीय अधीकारी,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
भोपाल (म.प्र)

विषयः विधानसभा तारांकित प्रश्न सं. 3014 द्वारा मान. श्री कमलेश जाटव, विधायक, टोल टैक्स को नगर निगम मुरैना की सीमा से बाहर स्थापित किये जाने के संबंध मे।

संदर्भः क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का ई–मेल दिनांक 17.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश विधानसभा तारांकित प्रश्न सं. 3014 के माध्यम से चाही गई जानकारी निम्नानुसार हैः–

(क) हाँ, इस कार्यालय के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–3, आगरा–ग्वालियर खण्ड के कि.मी. 84 पर ग्राम–छौंदा, जिला–मुरैना पर स्थित प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण वर्ष 2006 से किया जा रहा है। उस समय उक्त प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा नगर पालिका सीमा से बाहर था। वर्तमान में उक्त प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा को शिफ्ट करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भा.रा.रा.प्रा. के अधीन समस्त टोल प्लाजाओं पर प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान 100% फास्टटेग के माध्यम से संग्रहण किये जाने हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये थे, परन्तु कुछ बस ऑपरेटरों व लोकल वाहन चालकों द्वारा बार–बार अनुरोध किये जाने के उपरन्त भी फास्टटेग नही लगाये गये है। जिससे प्रयेक्ता शुल्क प्लाजा छौंदा पर जाम की स्थिती निर्मित होती है। उक्त प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा पर किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व एवं अपराधी नहीं है। मुरैना जिले मे पंजीकृत गैर वाणिज्यिक वाहनों जोकि उक्त प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा के 20 कि.मी. के दायरे में आते है, हेतु राशि रु. 275/– के मासिक पास तथा मुरैना जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों हेतु उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित शुल्क के 50% शुल्क वसूली का प्रावधान रखा गया है।

(ग) मुरैना जिले में पंजीकृत गैर वाणिज्यिक वाहनों जोकि उक्त प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा के 20 कि.मी. के दायरे में आते है, हेतु राशि रु. 275/– के मासिक पास तथा मुरैना जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों हेतु उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित शुल्क के 50% शुल्क वसूली का प्रावधान रखा गया है। मासिक पास बनाने के उपरांत वाहन निरंतर टोल प्लाजा पार कर सकता है। अतएव शहरी विकास का कोई भी कार्य प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–3, आगरा–ग्वालियर खण्ड के कि.मी. 84 पर ग्राम–छौंदा, जिला–मुरैना पर स्थित प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा छौंदा फी रुल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी Fee Rule 1997 के तहत् स्थापित किया गया था, जिसमें नगर निगम सीमा में टोल प्लाजा स्थापित नहीं किये जाने का कोई प्रावधान नहीं था तथा छौंदा ग्राम में उक्त स्थान पर पूर्व से ही सन् 2006 से (नगर निगम सीमा घोषित होने से पूर्व) टोल प्लाजा का संचालन किया जा रहा है। अतएव उक्त प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा को अन्य स्थान पर स्थानांतरित (Shift) करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

17/2/2021

(आ.सी. गुप्ता)
परियोजना निदेशक